संख्या- 1 /जी-2-39/दस-2014/604-82टी0सी0

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 मई, 2014

विषय- अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धो में शिथिलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासनादेश संख्या सा-4-62/दस-96-604-82, दिनांक 18 मार्च, 1996 एवं तत्क्रम में समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में शासनादेश संख्या-सा-4-632/दस-2000-604/82टी0सी0,दिनांक 05 सितम्बर,2000 में यह स्पष्ट किया गया है कि अवकाश यात्रा सुविधा हेतु किसी भी स्थान के लिये वायुयान अथवा जल मार्ग से यात्रा की अनुमति नहीं होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत सड़क यात्रा निवास स्थान से (यदि निवास स्थान रेलवे स्टेशन से न जुड़ा हो) निकटतम रेल हेड तक अनुमन्य है। तत्पश्चात रेलमार्ग से गंतव्य स्थान तक तथा यदि गंतव्य स्थान रेलमार्ग से न जुड़ा हो तो गंतव्य स्थान से निकटतम रेल हेड से गंतव्य स्थान तक सड़क यात्रा अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से की गयी यात्रा अनुमन्य नहीं होगी। वर्तमान में ऐसे स्थान जो जल मार्ग या वायु मार्ग से ही जुड़े हैं, रेल अथवा सड़क मार्ग से नहीं, उन स्थानों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य नहीं है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- रेल यात्रा में लगने वाले समय एवं कठिनाईयों के कारण राज्य कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समस्त राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को अवकाश यात्रा सुविधा हेतु वायुयान से आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाय, परन्तु इसके एवज में उन्हें वह रेल किराया अनुमन्य कराया जाय जो किसी कर्मी को वर्तमान व्यवस्था के आधार पर रेल किराया के रूप में अनुमन्य है।

3- अत: उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा में यदि वायुयान से यात्रा की जाती है, तो उन्हें अधिकृत श्रेणी का किराया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)-राज्य कर्मचारी अवकाश यात्रा सुविधा हेतु आने जाने के लिये वायुयान से यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे, परन्तु वायुयान से यात्रा के एवज में उन्हें रेल की अधिकृत श्रेणी का किराया सबसे छोटे मार्ग(शोर्टेस्ट रूट) से जो अभी भी देय है, वही देय होगा।

(2)-शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 2000 की वर्तमान निर्धारित व्यवस्था से भिन्न स्थानों में अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(3)-यदि कोई सरकारी सेवक वायुयान से की गई यात्रा के बदले अधिकृत श्रेणी का किराया दिये जाने की मांग करता है तो उसे यात्रा बिल के साथ हवाई यात्रा के प्रमाण स्वरूप टिकट एवं बोर्डिंग पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । टिकट तथा बोर्डिंग पास परिवार के उन सभी सदस्यों के सन्दर्भ में प्रस्तुत करना होगा, जिनके द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के साथ अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग किया गया है।

-3-

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)-अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता हेतु पूर्व में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

4- उक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

भवदीय,
आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव

संख्या- 1 /जी-2-39(1)/दस-2014/604-82टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(3) समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(4) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
बी0के0 सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in